9|19 मोड़ू बनाम गोपीराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 एवं 13.01.2023 पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा में विचाराधीन निगरानी में अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्रान द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 11.10.2022 को सूचना दी जाने पर उनके द्वारा दिनांक 13.01.2023 को अप्रार्थी सं0 1 के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने का प्रा0पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 के परिजनों की जानकारी एकत्रित करने में समय लगने के कारण प्रा0पत्र पेश करने में समय लगा है। अतः कायम मुकाम प्रा0पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अप्रार्थी सं0 1 के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 के पुत्रान द्वारा दिनांक 11.10.2022 को न्यायालय हाजा को सूचित किये जाने से पूर्व ही वकील निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 06.09.2022 को न्यायालय में कायम मुकामान की कार्यवाही करने हेतु समय चाहने बाबत निवेदन किया गया था। वकील अप्रार्थी द्वारा यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी सं0 1 गोपीराम की दिनांक 02.05.2022 को मृत्यु हुई थी जिसके उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाने के लिए आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत कायम मुकाम का प्रा0पत्र निर्धारित समयावधि (90 दिवस) में पेश नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी सं0 1 एक ही ग्राम के निवासी है जिसकी मृत्यु की जानकारी निगरानीकर्ता को दिनांक 02.05.2022 से ही थी किन्तु उनके द्वारा जानबूझकर निर्धारित समयावधि में नहीं दी गई है। अप्रार्थी सं0 1 के पुत्रान द्वारा दिनांक 11.10.2022 को सूचित करने के उपरान्त भी अगले 60 दिवस में उनके द्वारा कायम मुकामान की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में कायम मुका.ान की कार्यवाही नहीं करने से निगरानी स्वतः ही अवेट हो चुकी है। अतः उक्त निगरानी को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस उभय पक्ष सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम की मृत्यु दिनांक 02.05.2022 को हुई है जिसके आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत कायम मुकाम का प्रा0पत्र निर्धारित समय सीमा (90 दिवस) के भीतर पेश करना चाहिए था किन्तु वकील निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 06.09.2022 को (लगभग 127 दिवस पश्चात) कायम मुकाम की कार्यवाही में समय चाहने बाबत पेश किया गया है। इसके उपरान्त गोपीराम के पुत्रान द्वारा दिनांक 11.10.2022 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर वकील निगरानीकर्ता द्वारा मृतक गोपीराम के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण निगरानी स्वतः अबेट हो जाने के कारण निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 के पेश किये जाने की जानकारी के भी लगभग 94 दिवस पश्चात वकील निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 13.01.2023 को अप्रार्थी सं0 1 के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 एक ही गांव के निवासी है जिससे निगरानी कर्ता को अप्रार्थी सं0 1 की मृत्यु की सूचना तत्समय होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसके भी लगभग 129 दिवस पश्चात कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके साथ विलम्ब माफी हेतु ठोस कारण बताते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः प्र[illegible] दिनांक 11.10.2022 स्वीकार किया [illegible] 13.01.2023 मियाद बाहर होने के क[illegible] पत्र दिनांक 13.01.2023 खारि[illegible] निगरानी पूर्ण रूप से अबेट हो चुकी है। अतः निगरानी अबेट [illegible] जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested